न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास [अलवर]
राजस्व लोकअदालत न्याय आपके द्वार शिविर ग्राम पं. मु. बघेरीकलां

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुभाष यादव आर.ए.एस.

बैंच सदस्य :- श्री कमलेश शर्मा सेवा निवृत्त तहसीलदार

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
38	17-4-18	7-5-18

उनवान

1- भूपसिंह पुत्र रामसिंह

2- मामचन्द पुत्र रामसिंह जाति गुर्जर साकिन बघेरीकलां तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- वादीगण

बनाम

1- राज. सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़-बास :- प्रतिवादी

दावा धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

::निर्णय::

आज पत्रावली लोकअदालत में ग्राम पंचायत मुख्यालय बघेरीकलां पर पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:-

वादीगण ने वाद पेश किया हाल आ. सं. नं. 1117/0.08, 1227/0.05, 1246/0.63, 1402/0.29, 1419/0.20, 1539/0.09, 1793/0.15 वाके ग्राम बघेरीकलां वादीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात में मिन वादीगण के नाम के बाद नवीरान दरयाई दर्ज हो रहा है जो नाम गलत दर्ज हो रहा है, जबकि दरयाई वादीगण के दादाजी थे जिनका देहान्त काफी अरसा पूर्व हो चुका है। उक्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण के पिता का रामसिंह वादीगण के आधार कार्ड पहचान पत्र में पिता का नाम रामसिंह दर्ज है।

वादीगण के पिता रामसिंह वादीगण के दादाजी से पूर्व ही फौत हो गये थे इसलिए उक्त आराजी का विरासत इन्तकाल जो दादाजी के फौत होने पर दर्ज मंजूर हुआ उसमें नवीरान दरयाई दर्ज करदिया गया जो राजस्व रिकार्ड में बदस्तूर चला आ रहा है। जिसे दुरूस्त किया जाकर नवीरान दरयाई के स्थान पर पुत्रान रामसिंह दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे:-

[अ] आ. स. नं. हाल 1117/0.08, 1227/0.05, 1246/0.63, 1402/0.29, 1419/0.20, 1539/0.09, 1793/0.15 वाके ग्राम बघेरीकलां तहसील किशनगढ़-बास में जो रहे मिन वादीगण के नाम के बाद नवीरान दरयाई के गलत अंकन को हजफ किया

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

जाकर मिन वादीगण के नाम के बाद पुत्रान रामसिंह का सही अंकन किया

§ब§ खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

§स§ दीगर न्यायोचित दादरसी जो अदालत श्रीमान मुनासिब समझे अता फरमा जावे।

वादी ने अपने वाद की ताईद में नकल जमाबन्दी हाल, छांया प्रति पहचान पत्र, आधार कार्ड पेश किये है। तथा आज लोकर अदालत में स्वयं का शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत बधेरीकलां का शपथ पत्र पेश किया है।

प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने अपने जबावा में वाद को स्वीकार किया है तथा वाद को डिक्री किये जाने की सहमति दी है। पैरोकार का जवाब पेश होने पर पटवारी हल्का से जाँच रिपोर्ट ली जाकर शामिल पत्रावली कीगई।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादीगण के वाद की पुष्टि होती है। प्रस्तुत जमाबन्दी हाल से साबित होता है कि वादीगण के नाम के साथ उनके पिता का नाम दर्ज न होकर दादा का नाम अंकित है। जिसे लोकर अदालत की भावना से हजफ किया जाकर वादीगण के पिता का नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि जमाबन्दी हाल में आ. व. नं. 1117/0.08, 1227/0.05, 1246/0.63, 1402/0.29, 1419/0.20 1539/0.09, 1793/0.15 किता 7 रकबा 1.49 वाके ग्राम बधेरीकला में मामचन्द भूपसिंह नबीरान दरयाई समभाग गूजर सा. देह खातेदार अंकन हो रहा है उसमें नबीरान दरयाई हजफ किया जाकर पुत्रान रामसिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार ही दुरूस्ती की जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

उपखण्डाधिकारी
लोक अदालत शिविर
बधेरीकलां

बेंच सदस्य

ाय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुभाष यादव आर.ए.एस. किशनगढबास

दमा नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
38	17.4.18	7.5.18

उनवान

. भूपसिहं पुत्र रामसिहं

2. मामचन्द पुत्र रामसिहं जाति गूर्जर साकिन बघेरीकलां तहसील किशगनढबास

:– वादीगण:–

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढबास अलवर

:–प्रतिवादी:–

(दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट)

पर्चा डिक्री

वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि जमाबंदी हाल आ0ख0न0 1117/0.08, 1227/0.05, 1246/0.63, 1402/0.29,1419/0.20,1539/0.09,1793/0.15 किता 7 रकबा 1.49 वाकें ग्राम बघेरीकला में मामचन्द भूपसिह नवीरान दरयाई समभाग गूजर सा0देह खातेदार अंकन हो रहा है उसमे नवीरान दरयाई हंजफ किया जाकर पुत्रान रामसिहं दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner